

746

आयकर आयुक्त कार्यालय,
"आयकर भवन", ताराबाईपार्क, कोल्हापुर.

दिनांक:- 10/05/94

"आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-अ के अधीन"

-: पंजीकरण - प्रमाणपत्र :-
=====

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत न्यास/संस्थाओं के लिए रखे हुए रजिस्टर में

सोगली मिशन शीसायरी, मिशन

का नाम दर्ज किया गया है।

- उनकी पंजीकरण संख्या: कोप./मुख्या-4/2178/168/ 8 / 1993-95 है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-अ(2) को और न्यास/संस्था का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के अंतर्गत आयकर विवरण दाखिल करनी होगी तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 17ख का पालन करना होगा और प्रारूप नं. 10 ब में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट देनी होगी।

मोहर:

कोल्हापुर.

दिनांक:- 10/05/94



हस्ता
(सि. यु. चौरे)
आयकर आयुक्त, कोल्हापुर.

- न्यास/संस्था धार्मिक/धार्मिक न्यास/संस्था के रूप में पंजीकृत की गई है।
- धार्मिक न्यास/संस्थाओं के दानकर्ता धारा 80-छ के अधीन कर-राहत के लिए भागी नहीं हो सकते।
- धार्मिक न्यास/संस्थाओं के दानकर्ता धारा 80-छ(2) के अधीन कर-राहत के लिए भागी बनने के लिए अलग से प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

प्रति:-

1. न्यास संस्था सोगली मिशन शीसायरी, मिशन
अल्फान्सो कुपवाड रोड, मिशन 4162416
सोगली

2. आयकर उपायुक्त रेंज-1 / 2. कोल्हापुर

3. आयकर सहायक आयुक्त, सर्किल- 1(3) सोगली

सी. ए. चौरे
* सी. ए. चौरे *